प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 10-10 वर्ष का कारावास की सजा व दिया गया 50,000 50,000/- रु0 अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 10-10 वर्ष का कारावास की सजा व दिया गया 50,000 50,000/- रु0 अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01.04.2016 को वादिनी श्रीमती प्रीती शुक्ला पत्नी अभिषेक शुक्ला निवासी आनन्दनगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेण्डस कालोनी पर तहरीरी सूचना दी। तहरीर के आधार पर **थाना फ्रेंड्स कॉलोनी** पर **मु0अ0सं0-150/2016 धारा 307 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 अभिषेक एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 15.11.24 को अन्तर्गत 307 भादवि में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्ट संख्या 08, इटावा द्वारा 10-10 वर्ष के कारावास व 50,000 – 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजेश कुमार पुत्र सिकन्दर मिश्रा निवासी अलकापुरी थाना कोतवाली इटावा।**
2. **राजा मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी अलकापुरी थाना कोतवाली इटावा।**